दिनांक 6 जून, 1983

क्रमांक **561-ज-I-83/18321.**—श्री गोरधन दास, पुत्र श्री चानन दास, निवासी भगतपुरा, तहसील व जिला सोनीपत, की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोरधन दास को मुल्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 303-आर-4-69/18384, दिनांक 24 जुलाई, 1960 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भिरांवा देवी के नाम खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **608-ज(I)-83/18325.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती कशमीरी देवी, विधवा श्री रघुनाथ, गांव भोड कलां, तहसील व जिला गुड़गांवा, को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **673-ज(I)-83/18329.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री खजान सिंह, पुत्र श्री सुरजन सिंह, गांव दोवाना, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 7 जून, 1983

क्रमांक **540-ज(I)-83/18554.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री सरवन सिंह, पुत्र श्री चन्दा सिंह, गांव खान अहमदपुर, तहसील व जिला अम्बाला, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LABOUR DEPARTMENT

ORDER

The 9th June, 1983

No. ID/AMB/129-81/26645.—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that any industrial dispute exists between the workman Shri Balak Ram and the management of M/s. The Oriental Science Apparatus Workshop, Ambala Cantt, regarding the matter hereinafter appearing;

And whereas the Governor of Haryana considers it desirable to refer the dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Labour Court, Faridabad, constituted,—*vide* Government notification No. 11495-G-Lab/57/11245, dated 7th February, 1958 read with notification No. 5414-3Lab-68/15254, dated 20th June, 1968 under section 7 of the said Act, the matter specified below being either matter in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and workman for adjudication :—

Whether the termination of service of Shri Balak Ram was justified and in order ? If, not to what relief is he entitled ?